

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


मायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

वान रामपाल बनाम भूमिधारी
 मुकदमा पा० पत्र 136 LR अहमद मुकदमा नं० 500 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
25/11/19	<p>प्राची की ओर से वकील श्री रामचन्द्र विजयनिगा ने प्राप्क पेश किया। सिपाई सरिहा ली गयी। प्राप्क दर्ज सही किया जाये। अप्राचीगण को शरिफे गोरिल लम्ब किया जाकर सिपाय डिगडं 25/11/19 को पेश की</p>	
25/11/19	<p>पञ्जावली पेश हुयी वकील प्राची दामोदर अप्राची ल०। की तारिख सम्पत्क रूप ले हुये वल्लभ सम्पत्क तारिख अनुपस्थित रहन पर प्राचीपाडी स० के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अहकाम में जारी गयी है वकील वाकी ने कवन कि भूमि ख० न० 360, 365, 366, 369 374, 375 किता-6 कुल कसब 3.00 है तथा ख० न० 228 कसबा 1.91 है तब मात्र लेवली में प्राची के पिता का रामचन्द्र सिपाई में नाथूराम के स्थान पर गालत गान नाथ्या दर्ज हो गया। नाथ्या व नाथूराम एक ही व्यक्ति के गान है अतः प्राचीग अतर्गि था 136 LR अहमद स्वीकार कर प्राची के पिता को गान दुबस्त किया जाये नमाये पित है</p>	<p>5425 20/11/2019</p>

हमें बदन पत्रिका जारी / जारी (उरी)
 वल्लभपात का अवलोकन किम / सलय
 ग्राम पंचायत पत्रिका वात न प्रमाण पत्र
 जारी किया है कि रामपाल पुत्र नाथुराम
 उर्फ नाथ्या (नाथु उर्फ नाथ्या एव ही व्यक्ति है) ही
 प्राची के मातापिता काई आधा काई के जारी
 इतिहासी में प्राची के पिता का नाम नाथुराम
 ही दर्ज है अतः प्राची के स्वतंत्र साहित
 होते हैं इसलिए प्राची का प्रां पत्र जारी
 द्वारा 130 LR Act रजिस्ट्रार कट चार्जि जारी
 हुक्म किम जाग उचित समस्त डुर जोडम
 दिया जाता है कि:-

आदेश



राजस्थान ग्राम सेवली तहसील खण्डेला
 जिला सीकर राज० के भूमि ख० न०
 360, 365, 366, 369 374, 375 कित्ता - 6
 रकबा 3.00 ह० व भूमि ख० न० 228 रकबा
 1.91 ह० के राजस्थान रिकार्ड में रामपाल पुत्र
 नाथ्या के स्थान पर सही नाम रामपाल
 पुत्र नाथुराम हुक्म किम जाग उचित समस्त डुर जोडम
 भुवसार पालन हेतु तहसीलदार खण्डेला
 को तहरीर जारी है। पत्रिका जारी हुक्म
 हुक्म किम जाग उचित समस्त डुर जोडम
 दिया।

(राजनीत सिंह)
 उपस्थित अधिकारी
 खण्डेला (राज०)